परिचालन संरक्षा चेतावनी संख्या 01/2021
(Operating Safety Alert No. 01/2021

विषय– ब्लॉक नियमो का उलंघन कर गाड़ी परिचालन के संबंध में.

दानापुर मंडल में दिनांक **16.09.2021** को मोकामा जं. से गाड़ी संख्या **EC/GHZ** को गड़हरा यार्ड के लिए कुल 09 गाड़ियों का मिक्स लोड चलाया गया. लोड में लगाये गए वाहन परिचालन के दृष्टीकोण से पूर्णरूप से फिट नहीं थे . अतः **C&W/MKA** द्वारा लोड को **30 kmph** गति प्रतिबन्ध के साथ चलाने के लिए फिट दिया गया और दो **TXR staff** को लोड escort करने हेतु दिया गया था.

विदित हो कि इंजन से केवल दो गाड़ियों में ही प्रेशर उपलब्ध था एवं अन्य गाड़ियाँ बिना प्रेशर का था एवं लोड में लगाया गया अंतिम गाड़ी **BOXN** का सबसे पीछे का **CBC coupling** टूटा हुआ था जिसके फलस्वरूप किसी इंजन को पीछे नहीं लगाया जा सकता था.

चूंकि गाड़ी चलने की दिशा में टाल जं. और लिंक केबिन के बीच तीव्र चढ़ाई है जिसके कारण लोड काम करने लिए किउल से दो इंजन दानापुर कंट्रोल द्वारा यह कह कर दिया गया कि एक इंजन लोड वर्किंग करेगा और दूसरा इंजन लोड के पीछे पीछे **protection** के रूप में काम करेगा.

नियंत्रक द्वारा दिए गए उपरोक्त निर्देश का पालन करते हुए गाड़ी को **18.25** बजे चलाया गया और एक ही लाइन क्लियर पर उसके पीछे लाईट इंजन भी चला दिया गया. इस प्रकार गाड़ी टाल जं. , लिंक और राजेन्द्रपुल से होते हुए सिमरिया स्टेशन (सोनपुर मंडल) पहुँच गई और **19.45** बजे गाड़ी का बैक रिपोर्ट दे दिया गया.

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि निम्नलिखित संरक्षा नियमों का पालन नहीं किया गया –

1. पूर्ण ब्लॉक पद्धति का उलंघन कर एक ही लाइन क्लियर पर पीछे पीछे इंजन को चलाया जाना **(GR.8.01)**
2. लाइट इंजन के लोको पायलट द्वारा प्रस्थान प्राधिकार के प्रति नियमों का उलंघन.
3. पुरी गाड़ी में प्रेशर उपलब्ध नहीं होना.
4. नियंत्रक द्वारा संरक्षा नियम के विरूद्ध गाड़ी परिचालन के लिए आदेशित करना.

उपरोक्त घटना में दानापुर मंडल द्वारा त्वरित कारवाई करते हुए निम्न कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है –

1. श्री अनूप कुमार/ **Dy.Goods/DNR**
2. श्री राजीव कुमार पासवान ,सेक्शन कंट्रोलर /दानापुर
3. श्री राजीव कुमार सिन्हा, सेक्शन कंट्रोलर /दानापुर
4. श्री अनजनी कुमार, स्टेशन मास्टर/मोकामा
5. श्री अशोक कुमार सिंह, स्टेशन मास्टर/टाल
6. श्री राजेश कुमार साह , स्टेशन मास्टर/लिंक
7. श्री दीपक कुमार, स्टेशन मास्टर/राजेंदर पुल
8. श्री रणजीत कुमार, लोको पायलट/ झाझा
9. श्री राकेश कुमार/ सहायक लोको पायलट/ झाझा

अतः सभी मंडलों को निर्देश दिया जाता है कि उपरोक्त वर्णित नियम विफलताओं के संबंध में संबंधित कर्मचारियों को जागरुक एवं सतर्क करने के लिए उचित कारवाई करें ताकि इस प्रकार की चूक के कारण होने वाली दुर्घटना को रोका जा सके।

(सलिल कुमार झा)
प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक

सं0.ई सी आर /परि. संरक्षा /चेतावनी /73 /505, दिनांक 17.09.2021

प्रतिलिपि:

1. सचिव, महाप्रबंधक /पूमरे, हाजीपुर – महाप्रबंधक महोदय को सादर सूचनार्थ हेतु।
2. प्रधान मुख्य संरक्षा अधिकारी/ पूमरे, हाजीपुर को सूचनार्थ एवं आवशयक कारवाई हेतु।
3. मण्डल रेल प्रबंधक – धनबाद, दानापुर, पंडित दीन दयाल उपाध्याय, सोनपुर एवं समस्तीपुर को सूचनार्थ।
4. प्रधान मुख्य विधयुत इंजीनियर/ पूमरे, हाजीपुर को सूचनार्थ एवं आवशयक कारवाई हेतु।
5. वरि.मण्डल परिचालन प्रबंधक-धनबाद, दानापुर,डी.डी.यू, सोनपुर एवं समस्तीपुर कृपया इस संरक्षा चेतावनी को सभी स्टेशनों , क्रू लॉबी, गार्ड लॉबी इत्यादि स्थानों पर व्यापक प्रदर्शन कराएँ एवं सेक्शनल **TIs** द्वारा सभी स्टेशन अधीक्षकों को सूचित कराएँ.